

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रति,

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक
इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भ:-

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 02.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	तैतरा देवी पति- अशोक कुमार गुप्ता ग्राम- जमुआ पो- करूप थाना- काराकाट जिला- रोहतास सीआर न०- 108112300896421	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	अशोक कुमार पिता- योगेन्द्र प्रसाद ग्राम- राजीव नगर वार्ड 01 पो- केशरी नगर थाना- राजीवनगर जिला- पटना सीआर न०- 108112601502983	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सगीता देवी पति- मुकेश कुमार ग्राम- डुमरी वार्ड 08 पो- डुमरी थाना- सराय जिला- वैशाली सीआर न०- 108112300322122	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	मालती देवी मिस्त्री पति- रामजी मिस्त्री ग्राम+पो- डोईया थाना- नूरसराय जिला- नालदा सीआर न०- 108112502605037	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	उर्मिला देवी पति- दिनेश प्रसाद यादव ग्राम- पिपरा वार्ड 05 पो0+थाना- पिपरा जिला- सुपौल सीआर न0- 108112300887618	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	पनपाती देवी पति- मुख्तार महतो ग्राम- सोनपुर वार्ड 01 पो0- बैजलपुर थाना- सोनपुर जिला- सारण सीआर न0- 108112502135162	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	सीमा सिन्हा पति- विनय कुमार सिंह ग्राम- डुमरी बैजू पो0- बडका बलुआ थाना- पताही जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112401713041	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	राजेन्द्र मंडल पिता- कमलेश्वरी मण्डल ग्राम- पूरा टोला पो0- लौआलगाओ थाना- चौसा जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112601722762	Retroperitoneal lymphadenopathy	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			6,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,60,000/- (छः लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 **000877** द्वारा जारी कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-**503 2011 9556** खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना"खाते का प्रकार-बालूयक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि का संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत प्रदत्त कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस कर ॥ सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

जापाक 2501 (14)

पटना, दिनांक 09/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि रालग्न चेक सं० 000877 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक ...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **02.09.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रकाश कुमार पिता- निरिक्षण सिंह ग्राम- टरवा पो0- अराप थाना- नौबतपुर जिला- पटना सीआर न0- 109112301840279	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सगीता मिश्रा पति- सजय मिश्रा ग्राम- केछुआ वार्ड 09 पो0- सकला बाजार थाना- कराकाट जिला- रोहतास सीआर न0- 109112300258088	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,60,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 **000877** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 579310110008985 खाता धारक का नाम-Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2502(14)

पटना, दिनांक 09/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग चेक सं० 000877 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक का कर दिया जाय

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई० टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेंटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 02.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	भोगी देवी पति- योगेन्द्र यादव ग्राम+पो०- बकुनिया थाना- डरहार जिला- सहरसा केस फाईल न०-19एफ 2025 / 004885	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सजय कुमार पिता- रघुवीर साह ग्राम- रूपवारा पो०- विशनुदत्तपुर थाना- करजा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2024 / 001253	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	शोभित देवी पति- सिहेश्वर कामत ग्राम- बछौनी पो०- धरमडीहा थाना- फुलपरास जिला- मधुबनी केस फाईल न०- 19एफ2026 / 005239	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	बालेश्वर सिंह पिता- रामदयाल सिंह ग्राम- पोखरा पो०- टलवा पोखर थाना- कोटवा जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न०- 19एफ2026 / 006245	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	विभा देवी पति- अशोक कुमार सिंह ग्राम- सिरकोहियाँ पो0+थाना- जैतनुपर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026 / 005346	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	चन्द्रकला देवी पति- प्रेम चद्र प्रसाद ग्राम- घी पटी रोड बैरगनिया पो0+थाना- बैरगनिया जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2026 / 000468	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	शशि रजन पाडेय पिता- युगल किशोर पाडेय ग्राम- भठडी पो0- धरहारा थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19एफ2025 / 003824	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	राजदेव भगत पिता- बिल्टू भगत ग्राम+पो0- महवल थाना- मोतीपुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025 / 003701	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	सुनैना देवी पति- रमेश महतो ग्राम- मटियारिया पो0- हर्नाटॉड थाना- नौरगिया जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026 / 005037	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	प्रभा देवी पति- सुरेश ठाकुर ग्राम+पो0- सिरसिया जगदीश थाना- कथैया जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026 / 003284	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	सतोस ठाकुर पिता- मोहन ठाकुर ग्राम+पो0- पकडी पकोही थाना- करजा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026 / 004938	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	हेमत कुमार पिता- स्व० भगवन दीन ग्राम+पो०- दिघी कला थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली केस फाईल न०- 19एफ2026/004662	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	मा० हैदर अली पिता- मो० रहमान ग्राम- खाजासराय पो०+थाना- लहेरियासराय जिला- दरभंगा केस फाईल न०- 12एफ2025/001791	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			10,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,40,000/- (दस लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० **000877** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, एड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० बैंक लि०, शाखा का नाम-RTGS/NEFT कोड सं० HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अर्हता प्राप्त लाभार्थियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2503(14)

पटना, दिनांक 09/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000877 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

पत्रक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
पेटा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर संस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 02.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	प्रीती कुमारी पति— जैनेन्द्र कुमार ग्राम— नारायणपुर पो०— दौलतपुर थाना— कोईलवर जिला— भोजपुर एम०सी०एस— 10367556	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	नमिता देवी पति— वरुण कुमार ग्राम नौवगाँव पो०— लक्ष्मीपुर थाना— सिरिसिया जिला प० चम्पारण एम०सी०एस— 10365316	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सुनैना देवी पति— भरत महतो ग्राम— डबहावन वार्ड 9 पोस्ट— डबहावन थाना— भदौर जिला— पटना एम०सी०एस— 10366025	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	पंकज कुमार झा पिता— रतीकान्त झा ग्राम— भर्सा पोस्ट— कालसर थाना— हसनगज जिला— कटिहार एम०सी०एस— 10367665	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	रोहित कुमार पिता— सत्यनारायण राय ग्राम— महथी पो0— पचपैका थाना— उजियारपुर जिला— समस्तीपुर एम0सी0एस— 10366861	कैसर रोग	80,000	अरसी हजारा स्वीकृत
6	अरविन्द यादव पिता— सुरेश प्रसाद यादव ग्राम— हनुमान नगर पो0— चन्दौर थाना— सौर बाजार जिला— सहरसा एम0सी0एस— 10166053/ई 20160	कैसर रोग	80,000	अरसी हजारा स्वीकृत
7	सईदा खातुन पति मो0 सलीम ग्राम—सोहसराय बिचली अडान पो0+थाना— सोहसराय जिला— नालदा एम0सी0एस— 10368623	कैसर रोग	80,000	अरसी हजारा स्वीकृत
8	नगदी देवी पति— निको महतो ग्राम— मझुआ पो0— गौरा थाना— मुफरिसल जिला पूर्णिया एम0सी0एस— 10368800	कैसर रोग	80,000	अरसी हजारा स्वीकृत
9	हरी किशन महतो पिता— स्व0 इन्द्रदेव महतो ग्राम— बेरई पोस्ट— नौरगिया देना थाना— नौरगिया जिला— प0 चम्पारण एम0सी0एस— 10364334	कैसर रोग	80,000	अरसी हजारा स्वीकृत
10	मानो शर्मा पिता— बलदेव शर्मा ग्राम— बैजनाथ पट्टी पो0— सिमराहा थाना— सहरसा जिला— सहरसा एम0सी0एस— 10368658	कैसर रोग	80,000	अरसी हजारा स्वीकृत
11	शोभा देवी पति— राज कुमार पाण्डेय ग्राम—पृथ्वीपुर चिरैयाटाड गली न0-2, पो0— जी0पी0ओ0 थाना— ककडबाग जिला— पटना एम0सी0एस— एफ 80218/ 10326110	कैसर रोग	80,000	अरसी हजारा स्वीकृत

12	रसुलन बीबी पति- इलताफ मिया ग्राम-डुमरा पो0- डुमरा थाना-जामो बाजार जिला-सीवान एम0सी0एस- 10362471	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	निशा देवी पति- अमरजीत मालाकार ग्राम- सोहिलबाडा पो0- मनसुरचक थाना-मनसुरचक जिला- बेगुसराय एम0सी0एस- 45950	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	विकास कुमार पिता- नीरज कुमार ग्राम- सिमली कचनूरी माधव मिल्स मालसलामी, पोस्ट- पटना सिटी थाना-मालसलामी जिला- पटना एम0सी0एस- 10369811	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	हरि प्रसाद सिंह पिता- बिपिन सिंह ग्राम- देवगाव पो0- धुम नगर थाना- आजम नगर जिला- कटिहार एम0सी0एस- 10368239	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	बिनोद राम पिता- ललन राम ग्राम-भिडा चौर पो0- फरसाहनी थाना पटखौली जिला- प0 चम्पारण एम0सी0एस-10367748	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	सुकुमारी देवी पति- जनक यादव ग्राम+पोस्ट-वायसी थाना- करजाईन जिला- सुपौल एम0सी0एस-10369424	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	कुमारी सोनी पति-पियुष कुमार ग्राम- भरत रसलपुर पो0- रन्नुचक मकदपुर थाना- नाथ नगर जिला- भागलपुर एम0सी0एस- 10362401	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	सुशीला देवी पति- सत्यनारायण सिंह ग्राम+पो0- इशाचक थाना-इशाचक जिला- भागलपुर एम0सी0एस-एफ 25525	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार रुपयकृत।
20	शम्भु सिंह पिता- राम नारायण सिंह ग्राम-शम्भुचक वार्ड 3 पो0- शम्भुचक थाना- कल्याणपुर जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-10366218	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार रुपयकृत।
21	नीलम देवी पति- राम ईश्वर पासवान ग्राम- राजोपुर पो0- औधे थाना- हथियावा जिला- शेखपुरा एम0सी0एस-10369368	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार रुपयकृत।
22	आशा देवी पति- सुनील चौधरी ग्राम- जय प्रभा नगर कायस्थ टोला, पोस्ट- सहरसा थाना+जिला- सहरसा एम0सी0एस-10330564 / एफ 84672	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार रुपयकृत।
23	रामकुमारी देवी पति- अशोक राय ग्राम+पो0- बलहा जयनारायण थाना- चक मेहसी जिला- समस्तीपुर एम0सी0एस- 10367311	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार रुपयकृत।
24	मुमताज बेगम पति- शाहजहा असारी ग्राम-पकडी पो0- कोल्हुआ थाना-चौतरवा जिला- प0 चम्पारण एम0सी0एस- 10369687	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार रुपयकृत।
25	कुसुमलाल यादव पिता- सितय यादव ग्राम- गिदराही पो0-गिदराही थाना- मरौना जिला- सुपौल एम0सी0एस- जी0 9846 / 10307610	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार रुपयकृत।

26	अशोक प्रसाद गुप्ता पिता- केशरी चन्द्र गुप्ता ग्राम- बटराहा पो0+थाना-सहरसा जिला सहरसा एम0सी0एस-10367497	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	किरानी साह पिता- नरेश साह ग्राम+पो0- बन्दवार थाना -निमाचदपुरा जिला- बेगुसराय एम0सी0एस-10363931	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	सोनी देवी पति- पुष्पेन्द्र राम ग्राम- सुखलिया पो0- वरहन गोपाल थाना- बडहरिया जिला सीवान एम0सी0एस- 10370167	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	सजीव कुमार पिता- कृष्ण मोहन राम ग्राम+पो0-मुस्तफापुर थाना- सूर्यगढा जिला लखीसराय एम0सी0एस- 103595750 / जी0 13679	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	मुन्नी देवी पति- सरोज यादव ग्राम- हरिपुर पो0- सलखुआ थाना- सलखुआ जिला- सहरसा एम0सी0एस-10364860	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	राम प्रसाद यादव पिता- लखन यादव ग्राम- देवना पो0- ठेगहा थाना- सकतपुरा जिला- दरभंगा एम0सी0एस-एफ 83375 / 10329267	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	सुनैना देवी पति- सुरेन्द्र पडित ग्राम+पो0- लखनौडीह थाना- बाका जिला- बाका एम0सी0एस- 10369455	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	शिवनारायण ठाकुर पिता- महावीर ठाकुर ग्राम- चादीपुर पो0- पकरी थाना पलासी जिला- अररिया एम0सी0एस-10366722	कैसर रोग	80,000	अररिया जिला रोगांक
34	शिवाश कुमार पिता- राज प्रकाश मिश्रा ग्राम- बीरपुर पो0- बीरपुर थाना- बीरपुर जिला- बेगुसराय एम0सी0एस- 10369913	कैसर रोग	80,000	अररिया जिला रोगांक
35	मो0 आबिद पिता- फकीर मोहम्मद ग्राम- बिजलिया महेशुआ पो0- विष्णुपुर थाना- अमौर जिला- पूर्णिया एम0सी0एस- 10367012	कैसर रोग	80,000	अररिया जिला रोगांक
36	सुरेश भगत पिता- उरेहन भगत ग्राम- माधोपुर राम पो0- माधोपुर राम थाना- वैशाली जिला वैशाली एम0सी0एस- 10369079	कैसर रोग	80,000	अररिया जिला रोगांक
37	शांति देवी पति- विश्वनाथ दास ग्राम- कोहवारा पो0- रामपट्टी थाना- कुमारखड जिला- मधेपुरा एम0सी0एस- 10368753	कैसर रोग	80,000	अररिया जिला रोगांक
38	मो0 अलीजान पिता- मो0 सहमद ग्राम- बरहा पो0- बथनाहा थाना फुलपरास जिला- मधुबनी एम0सी0एस- 10366235	कैसर रोग	80,000	अररिया जिला रोगांक
39	ललिता देवी पति- शिवजी सिंह ग्राम- गनघर पो0- ताराढ थाना- नोखा जिला- रोहतास एम0सी0एस-जी0 7647 / 10353538	कैसर रोग	80,000	अररिया जिला रोगांक

40	देवेन्द्र दास पिता- मलहु दास ग्राम- लक्ष्मणटोल पो0- चमथा छोटखुट थाना- बछवाडा जिला- बेगुसराय एम0सी0एस- 10366463	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	रिकु देवी पति- जीवछ लाल साह ग्राम-कुम्हारी पो0- दुर्गागज थाना कदवा जिला-कटिहार एम0सी0एस- 10368492	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	रामसेवक यादव पिता- मोती यादव ग्राम- मिन्हैई पो0- मेघौल थाना- सकरी जिला- मधुबनी एम0सी0एस- 10368331	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	गोलिया देवी पति- स्व0 हरिलाल मेहता ग्राम- भगवानपुर पो0- साहेबान थाना- रतनपुरा जिला- सुपौल एम0सी0एस- 10361972	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	मजीत मिलन पिता- जैनेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम- शिवगज पो0- नरकटियागज थाना- शिकारपुर जिला प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 10962 / 10356853	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	अनिल मडल पिता- वकील मडल ग्राम- फनहन पो0- रहटा थाना-उदाकिशुनगज जिला- मधेपुरा एम0सी0एस- 10363831	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	भुवेन्द्र कुमार गणेश पिता- फोदराम गणेश ग्राम- हसनपुर पोस्ट- रूईधासा थाना- ठाकुरगज जिला- किशनगज एम0सी0एस-एफ 95643 / 10341535	बोन मैरो ट्रास्प्लाट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।

47	सूर्यवं कुमार पिता- अर्जुन प्रसाद ग्राम- घ महावीर स्थान गली पो0- महेन्द्रु थाना- सुल्तानगज जिला- पटना एम0सी0एस- 10348045	कैसर रोग	80,000	अरसी 10348045 रसी 10348045
48	धनेश सिंह पिता-मधुसुदन सिंह ग्राम-अन्छा पो0- अन्छा थाना- दाउद नगर जिला औरंगाबाद एम0सी0एस- 10369030	कैसर रोग	80,000	अरसी 10369030 रसी 10369030
49	मजु देवी पति- राम विलास प्रसाद ग्राम- चौखडीपर पो0+थाना- बिहार शरीफ जिला- नालदा एम0सी0एस-10354260 / जी0 8369	कैसर रोग	80,000	अरसी 10354260 रसी 10354260
50	हीरा राम पति- रामेश्वर राम ग्राम- रानीपरती पो0- रानीपरती थाना- रोसडा जिला समस्तीपुर एम0सी0एस- 10369386	कैसर रोग	80,000	अरसी 10369386 रसी 10369386
51	छाटो देवी पति- भरत सहनी ग्राम- लाल सरैया पो0- लाल सरैया थाना- मझौलीया जिला- प0 चम्पारण एम0सी0एस-10362738	कैसर रोग	80,000	अरसी 10362738 रसी 10362738
52	बिनोद गुप्ता पिता- हरिचरण साह ग्राम-छत्रपति रोड सोनपुर पो0-सोनपुर थाना- सोनपुर जिला- सारण एम0सी0एस-10370337	कैसर रोग	80,000	अरसी 10370337 रसी 10370337
53	चुन्नी ठाकुर पिता- जगदीश ठाकुर ग्राम- दामोदरपुर पो0- रन्नुचक मकदपुर थाना- अकबर नगर जिला- भागलपुर एम0सी0एस-जी0 14144 / 10360035	कैसर रोग	80,000	अरसी 14144 रसी 14144

54	गीता देवी पति- विक्कल राय ग्राम- साडीया पोस्ट- कुन्द थाना- महिषी जिला- सहरसा एम0सी0एस-10368234	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
55	शिव नदन प्रसाद यादव पिता- स्व0 श्याम लाल यादव ग्राम- रतनपुरा पो0- भवनपुरा थाना खरिक जिला-भागलपुर एम0सी0एस-10367428	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
56	प्रियका सिंह पति- गुड्डु कुमार सिंह ग्राम- अरेराज पो0- अरेराज थाना- अरेराज जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-ई0 3248 /10149141	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
57	चन्देश्वर राय पिता- राम विलास राय ग्राम-रघुनाथपुर पो0- रघुनाथपुर थाना- हलई जिला- समस्तीपुर एम0सी0एस- 10367385	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
58	पवन कुमार यादव पिता- सुरेश प्रसाद यादव ग्राम- परसा डुमरिया पो0- परसा थाना- मझौलीया जिला प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 9833/ 10255725	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
59	मोतीन पिता- मो0 समी अहमद ग्राम-नेयाम पो0- हायाघाट थाना- हायाघाट जिला- दरभंगा एम0सी0एस- 10363785	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
60	मारुटर लक्ष्मण कुमार कामती पिता- मनोज कुमार कामती ग्राम- पतराहा डीह टोला पो0- मल्लाडीह थाना बी0 कोठी जिला पूर्णिया एम0सी0एस- 10367569	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

61	साबिया बेगम पति- मो० अलीम ग्राम- करबा मकर अजनी पो०- मकर थाना- मकर जिला- सारण एम०सी०एस-10368266	कैसर रोग	80,000	अरसी नज्द स्वीकृत
62	मदीना खातुन पति- मो० सुभान ग्राम- गोबराही पो०- डोरवारा थाना- जयनगर जिला- मधुबनी एम०सी०एस-10366609	कैसर रोग	80,000	अरसी नज्द स्वीकृत
63	उमरावती देवी पति- सुशील प्रसाद ग्राम- रेनुआ पो०- सीवान थाना- हुसैनगज जिला- सीवान एम०सी०एस- 10365985	कैसर रोग	80,000	अरसी नज्द स्वीकृत
64	मन्नान पाठक पिता- बिन्दा पाठक ग्राम-जगरनाथपुर पो०- सैदपुरा थाना- गोरेयाकोठी जिला- सीवान एम०सी०एस-10340294	कैसर रोग	80,000	अरसी नज्द स्वीकृत
65	निर्मला देवी पति- सत्यदेव महतो ग्राम-सतजोडा पो०- भिखाबाध थाना- दरौदा जिला- सीवान एम०सी०एस- 10360352 / जी० 14461	कैसर रोग	80,000	अरसी नज्द स्वीकृत
66	शेख वहीद पिता- शेख रसीद ग्राम-बिशम्बरपुर पो०- चनायण बाध थाना- मझौलीया जिला- प० चम्पारण एम०सी०एस- 1038662	कैसर रोग	80,000	अरसी नज्द स्वीकृत
67	सुशीला देवी पति- योगेन्द्र पासवान ग्राम-चेथरियापीर पो०+थाना-कहलगाव जिला- भागलपुर एम०सी०एस-10362048	कैसर रोग	80,000	अरसी नज्द स्वीकृत

68	रीता देवी पति— किशोरी राम ग्राम— पिपरा किशनपुर पो0— बराही थाना— परिहार जिला— सीतामढी एम0सी0एस—10360640	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	शनि कुमार पिता— मिथलेश राजवशी ग्राम— पतरग पो0— पहारपुर थाना— अकबरपुर जिला— नवादा एम0सी0एस—10317388	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	मो0 अलाउद्दीन पिता— स्व0 मो0 अज्जू ग्राम— सबलपुर वार्ड 07 पो0— सबलपुर थाना— नदी जिला— पटना एमसीएस न0— जी 4637 / 10530528 10350528	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	अशवती देवी पति— बिनोद कुमार सिंह ग्राम— न्यू एरिया पो0— औरगाबाद थाना— टाउन जिला— औरगाबाद एमसीएस न0— एफ 80733 / 10326625	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 58,70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 58,70,000/- (अन्दावन लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 **000877** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 **3601018437** खाता धारक का नाम—'महावीर कैसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड स0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / —

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 25/0 (14)

पटना, दिनांक 09/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना की प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 000877 ..की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सवा में,

निदेशक,
जीवक हार्ट अस्पताल एव शोध संस्थान प्रा० लि०,
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 02.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सीमा देवी पति- सदानंद पासवान ग्राम- कुशाहा वार्ड 05 पो०- जाबे थाना- भवानीपुर जिला- पूर्णियाँ	हृदय रोग वीएमवी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	अमरा खातून पति- मो० अमानुल्लाह ग्राम- आमोदेई वार्ड 09 पो०- आमोदेई थाना- रामगढ़वा जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग पीटीसीए	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	विजेन्द्र कुमार सिंह पिता- रामेश्वर सिंह ग्राम+पो०+थाना- पवना जिला- भोजपुर	हृदय रोग पीटीसीए	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	लालवतिया देवी पति- चंदशेखर भगत ग्राम- श्रीरामपुर पो०- चौदपूरा थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	प्रमोद कुमार पिता- राजो सिंह ग्राम- चितौरा पो०- मुबारकपुर थाना- मेहुस जिला- शेखपुरा	हृदय रोग पीटीसीए	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	रीता देवी पति- राजेश कुमार राय ग्राम- भदवास वार्ड 08 पो0- हसनपुर भदवास थाना- महुआ जिला- वैशाली	हृदय रोग बीएमवी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	रेनू कुमारी पति- नविन कुमार ग्राम- इस्लामपुर वार्ड 09 पो0- कचनावा थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद	हृदय रोग बीएमवी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	निलम देवी पति- सत्येन्द्र सिंह ग्राम- महवतपुर वार्ड 08 पो0- बश गोपाल अमवान थाना- सिरदला जिला- नवादा	हृदय रोग सीएवीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			5,70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,70,000/- (पाँच लाख सत्तर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000877 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाते सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलाप कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. रवीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2511 (14)

पटना, दिनांक

09/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000877 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/9/26
निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

राजेश्वर अस्पताल,

नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,

ककडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 02.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राम दास पिता— रामरूप दास ग्राम+पो0— रजाजान थाना— मोहिउद्दीनगर जिला— समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	बिनोद कुमार गुप्ता पिता— रामबृक्ष साह ग्राम— मझौली महम्मदपुर बुजुर्ग वार्ड 12 पो0+थाना— सराय जिला— वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	रामानंद सिंह पिता— स्व0 वृजनदन सिंह ग्राम— इशरपुर सिपारा वार्ड 30 पो0— ढेलवा थाना— बेउर जिला— पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	पट्टू कुमार साह पिता— महेद्र साह ग्राम— साहू परबत्ता वार्ड 14 पो0— साहू परबत्ता थाना— परबत्ता जिला— भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			3,20,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,20,000/—(तीन लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0

बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 **000877** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 1499002109000623 खाता धारक का नाम- "पञ्जाब अस्पताल" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- पञ्जाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम ककडवाग, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत परत कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर त्रुटि सुधार प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छ माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अक्षयित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा आ)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 251214)

पटना, दिनांक 09/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुषंग में एक सलग्न चेक सं0 **000877** की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,

राजाबाजार,

पटना- 800014

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 02.09.2026 की बैठक में निर्णय क अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नासरीन जहा पिता/पति- वाइजुल हक ग्राम- महेशवा रायबन्ना पो०- खुदना रूपसपुर थाना- रौतारा जिला- कटिहार यूएचआईडी न०- 3000652717	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	लाल झारो देवी पति- राज मंगल सिंह ग्राम- करनौल पो०- चादी थाना- चरपोखरी जिला- भोजपुर यूएचआईडी न०- 3000647634	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	गौरव कुमार झा पिता- सुमन कुमार झा ग्राम- बिरसैर वार्ड 10 पो०- बिरसैर थाना- सकरी जिला- मधुबनी यूएचआईडी न०- 3000614393	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	पूनम देवी पति- अनंत कुमार ग्राम- इन्दुपुर वार्ड 22 पो०+थाना- बरहिया जिला- लखीसराय यूएचआईडी न०- 3000637039	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	सुभाष चंद्र झा पिता- रव० रुद्रेश्वरी प्रसाद झा ग्राम+पो०- बैजानी थाना- जगदीशपुर जिला- भागलपुर यूएचआईडी न०- 3000633050	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	राहील पिता- नसीर ग्राम- थिकाबस्ती वार्ड 13 पो0- खरूदाह थाना- पौआखाली जिला- किशनगंज यूएचआईडी न0- 3000651859	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	मुन्ना कुमार पटेल पिता- जगत नारायण पटेल ग्राम- हाजमा टोला वार्ड 14 पो0- सिंहपुर हरैया थाना- हरैया जिला- पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी न0- 3000634354	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	मीना देवी पति- पंकज कुमार ग्राम- पुरैनी वार्ड 05 पो0- पुरैनी थाना- पुरैनी जिला- मधेपुरा यूएचआईडी न0- 3000604916	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	प्रमोद कुमार पिता- रामचन्द्र प्रसाद ग्राम- कलवारी मझरिया पो0- मझरिया थाना- आदापुर जिला- पूर्वी चम्पारण रजि न0- 3000639249	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			9,15,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,15,000/- (नौ लाख पन्द्रह हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 **000877** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **16498260000011** खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAHILY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं0- HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

जापाक 25/3 U4)

पटना, दिनांक 09/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000877 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)
विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य
9/9/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर्राफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 02.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित वीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बिन्देश्वर कामत पिता- मोजे कामत ग्राम- मोतनाजे पो०+थाना- लदनियाँ जिला- मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	विनोद सहनी पिता- मुखो सहनी ग्राम- करकौली पो०- मझिगामा थाना- मब्बी जिला- दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			1,50,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० पी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 000877 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०-38022630797 खाता धारक का नाम-सर्राफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-डी०एम०सी० कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड स० SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एरा0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अक्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/ --

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2514(14)

पटना, दिनांक 09/9/2021

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि, सहायक चेक सं० 000877 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
रुबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 02.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अजु देवी पति- ललन सिंह ग्राम- अरौवा पो0- परवलपुर थाना- वेन जिला- नालदा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000877 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस०एम०ई० ब्रांच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभों को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2515(14)

पटना, दिनांक 09/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 000877 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,

फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,

रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 02.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गिरिजेश कुमार पिता- ब्रह्मदेव प्रसाद ग्राम- ज्ञानबिगहा पो०+थाना- शेखपुरा जिला- शेखपुरा	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	रिकू देवी पति- अखिलेश कुमार ग्राम- कोडिहरा पो०- सैदाबाद थाना- मसौढ़ी जिला- पटना	हृदय रोग एमवीआर	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	राकेश कुमार पिता- बच्चू माझी ग्राम+पो०- कैरियन्ना थाना- सिलाव जिला- नालदा	ट्रामा सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	राजमुन्नी देवी पति- अरुण कुमार ग्राम- छोटी पहाड़ी पो०- बड़ी पहाड़ी थाना- अगमकुआ जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	नसीमा खातून पति- मुबारक अली ग्राम- किशुनपुर बलौर पो०- बलौर थाना- कुढनी जिला- मुजफ्फरपुर	हृदय रोग बीएमवी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

6	मिथलेश कुमार पिता— राघो प्रसाद ग्राम— चौरासी पो0— महानदपुर थाना— नगरनौसा जिला— नालदा	हृदय रोग सीएबीजी	60,000	साठ हजार स्वीकृत
			4,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 4,20,000/- (चार लाख बीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 **000877** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **31792937290**, खाता धारक का नाम— फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम—स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम—हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 **SBIN0009005** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सर्वाधिकारी मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
- आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछूतादिता लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2516(14)

पटना, दिनांक 09/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 **000877** की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आइ टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स०- 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 02.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनोज कुमार पिता- स्व० उचित लाल यादव ग्राम- प्लेट न०- 30 कंकड़बाग कॉलोनी पो०- लाहिया नगर थाना- कंकड़बाग जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	आशा देवी पति- बच्चा साह ग्राम- बगाही पो०- समहोता थाना- कोपा जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	जय प्रकाश कुमार पिता- दिनेश्वर सिंह ग्राम- सस्तौल पो०- मानसिधपुर बिझरौली थाना- तिसिऔता जिला- वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			2,40,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,40,000/- (दो लाख चालीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000877 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक

का नाम—एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर” खाते का प्रकार—चालू , बैंक का नाम— इंडियन बैंक, शाखा का नाम— हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड स0 IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुकों को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2517(14)

पटना, दिनांक

09/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000877 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक का कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रपक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
वीग अपोलो स्पेट्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक

विषय -- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 02.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सक निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मालती देवी पति- राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ग्राम- दुल्हन बाजार पो- वेल्हौरी थाना- दुल्हन बाजार जिला- पटना	टोटल नी रिप्लेसमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, वली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000877 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0-1714354694 खाता धारक का नाम-"BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- कोटक महिन्द्रा बैंक,(गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RIGS HSC कोड स0- KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जाएगा।
- यदि स्वीकृति/आदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2518(14)

पटना, दिनांक

09/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000877 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ट्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हार ब्रिज, पटना-800007

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 02.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	उमेश प्रसाद राय पिता- राजेंद्र राय ग्राम+पो0- हेतनपुर थाना- शाहपुर पटोरी जिला- समस्तीपुर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, वेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000877 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0- 33569032861 खाता धारक का नाम-“ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल ” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड स0 SBIN 0001496 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2519(14)

पटना, दिनांक 09/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं० 000877 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / सभी संबंधित मरीजों का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **02.09.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	पाना देवी पति- छटु राम ग्राम+पो0- भोरहा थाना- पानापुर जिला- सारण	हृदय रोग डीभीआर	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
2	सध्या देवी पति- नवीन कुमार ग्राम- केतिया बिगहा पो0+थाना- हिलसा जिला- नालदा	हृदय रोग एएसडी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			2,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000 /- (दो लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 **000877** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0- 50200060079860 खाता धारक का नाम- Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम- , RTGS/IFSC कोड स0 HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को**

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जा आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण गण ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2520(14)

पटना, दिनांक 09/01/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000877 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सवा मे ,

नीलमणि

पिता- त्रिलोकी नाथ सिंह

ग्राम- राजीव नगर रोड न०- 14 मिथिला कॉलोनी

पो०- केशरीनगर थाना- राजीव नगर

जिला- पटना

पिनकोड- 800024

पटना दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 02.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नीलमणि पिता- त्रिलोकी नाथ सिंह ग्राम- राजीव नगर रोड न०- 14 मिथिला कॉलोनी पो०- केशरीनगर थाना- राजीव नगर जिला- पटना पिनकोड- 800024	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 000877 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-3052101004798, खाता धारक का नाम- NILMANI SANJEETA KUMARI, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- CANARA BANK, शाखा का नाम- PATNA RAJEEV NAGAR, IFSC कोड स०- CNRB0003052 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

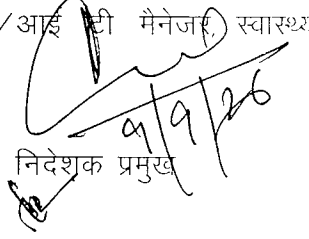
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2525(14)

पटना, दिनांक 09/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000877 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


9/9/26
निदेशक प्रमुख

KUMARI

केनरा बैंक



Canara Bank

NAME AND ADDRESS OF THE

PATNA R. O. & NAGAR

CANARA BANK

ADARSH ALAKA

NEW DELHI

INDIA

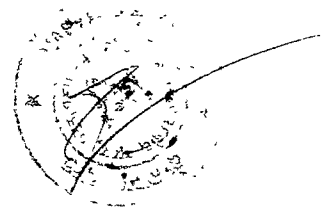
DELHI-110012

IFSC CODE: CANN000

Tel No: 23355555

Circle ID: 0000000

Branch ID: 0000000



Silvan

पास बुक PASS BOOK



3052101004798